तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एसचीट/10134/2003/जयपुर घनश्याम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ (कैम्प जयपुर) **डा0आर0वेंकटेश्वरन, अध्यक्ष** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री हमेंत सोगानी, अधिवक्ता अपीलांट के। श्री ओ0पी0भटट, उप राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0। **निर्णय** अपीलांट ने यह अपील राजस्थान राजगामी सम्पत्ति अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अन्तर्गत न्यायायल अति0 जिला कलेक्टर, तृतीय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28-08-2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि बृजकुमारी न्यायालय जिला कलेक्टर, जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि एक वर्ष पूर्व लक्ष्मणरामजी महाराज फौत हो गये है और अपने पीछे एक मकान नं0 1633 चौडा रास्ता जयपुर में लावारिस छोड गये है जो कि महाराज की निजी सम्पत्ति थी किसी संस्था की नहीं थी और न ही उक्त सम्पत्ति किसी संस्था को दान दी गयी एवं न ही इस सम्पत्ति की वसीयत की है। कुछ व्यक्ति इस सम्पत्ति पर नाजाजय कब्जा कर नुकसान पहुँचा रहे है। अतः इस सम्पत्ति को राजहित में कब्जेराज करने का आदेश फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार, जयपुर को उक्त मकान की जांच कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार ने जांच कर दिनांक 02.01.2001 को अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर, जयपुर को प्रेषित की जिसमें उन्होनें उक्त सम्पत्ति को लावारिस सम्पत्ति माना। तत्पश्चात अति0 जिला कलेक्टर, तृतीय जयपुर द्वारा एक अधिसूचना पेपर में प्रकाशित करने के पश्चात उक्त सम्पत्ति को अपने निर्णय दिनांक 28.08.2002 से उक्त सम्पत्ति को राजहित में लिये	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एसचीट/10134/2003/जयपुर घनश्याम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाने हेतु मय निर्णय जाचं पत्रावली जिला जज जयपुर को प्रेषित की गयी। अति0 जिला कलेक्टर, तृतीय जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 28.2.2002 से व्यथित होकर यह अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को अपील पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त सम्पत्ति लक्ष्यरामजी के नाम पर थी और उनके फौत हो जाने के पश्चात उनके शिष्य श्यामदाजी के नाम उक्त सम्पत्ति दर्ज हुई और न्यायालय जिला एवम् सैशन न्यायाधीश, सवाईमाधोपुर द्वारा श्री श्यामदास के नाम उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया गया। जिसके आधार पर विवादग्रस्त सम्पत्ति मकान नं 1633 लक्ष्यराम जी द्वारा चेरीटेबल ट्रस्ट को दान में दे दी गई। जिसके द्वारा स्वामित्व के सभी अधिकार उक्त ट्रस्ट में निहीत हो गये। अपीलांट ने विवादित सम्पत्ति लक्ष्यराम चेरीटेबल ट्रस्ट द्वारा दिनांक 27.03.83 को जरिये विक्रय पत्र प्राप्त कर ली थी। तथी से अपीलांट उक्त सम्पत्ति के बहैसियत केता काबिज आज दिनांक तक चला आ रहा है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने उक्त समस्त आधार को ध्यान रखते हुये विवादित सम्पत्ति को राजगामी घोषित नहीं करने का निवेदन किया व अति0 जिला कलेक्टर तृतीय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करते हुये अपील को स्वीकार करेन का निवेदन किया। उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित सम्पत्ति मकान नं0 1633, चौडा रास्ता जयपुर के एक मात्र स्वामी मृतक लक्ष्यरामजी महाराज थे। उनके द्वारा उक्त विवादित सम्पत्ति किसी ना तो किसी को दान में दी गयी और ना ही उनके द्वारा कोई शिष्य बनाया गया। उक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एसचीट/10134/2003/जयपुर घनश्याम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवादित सम्पत्ति लक्ष्यराम जी द्वारा चेरीटेबल ट्रस्ट को दान में में देने का कथन पूर्णतय गलत व निराधार है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि मृतक लक्ष्यरामजी के द्वारा श्यामदासजी के हक में ऐसा कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज तस्दीक नहीं करा जिससे यह साबित होता हो कि लक्ष्यरामजी के वारिस श्यामदासी है। उक्त सम्पत्ति पर वर्तमान में भगवानदास मार्केट बना हुआ है उसे लावारिस मिलकियत ही मानते है। न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, तृतीय जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 28.02.02 से इस विवादित सम्पत्ति को लावारिस मानते हुये राजहित में लिये जाने के जो आदेश पारित किये है वह उचित व विधिसम्मत है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में 2005 (4)एस0सी0सी0 पेज 449 का न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किया है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का गहनता से अवलोकन किया। इस प्रकरण के समस्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण राजस्थान राजगामी सम्पत्ति अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मृतक लक्ष्यरामजी महाराज की लावारिस सम्पत्ति मकान नं0 1633 चौडा रास्ता जयपुर को राजगामी घोषित करने के संबंध में की गयी कार्यवाही से संबधित है। राज्य सरकार पक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलांट द्वारा जो वारिस प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है उसमें संबंधित सैशन न्यायालय में प्रकरण में राज्य सरकार को आवश्यक पक्षकार होते हुये भी बिना पक्षकार बनाये व बिना सुनवाई का अवसर दिये ही यह वारिस प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है जो स्वीकार्य नहीं होकर इस सम्पत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में विधिपूर्ण प्रभावी नहीं है। इस विशिष्ट	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एसचीट/10134/2003/जयपुर घनश्याम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सम्पत्ति के संबंध में इस वारिस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत विधि दृष्टांत के आधार पर भी विशिष्ट रूप से प्रभावी नहीं माना जा सकता है। इस तथ्य पर समग्र विवेचन व परीक्षण किये जाने के पश्चात ही किसी विधिक निष्कर्ष पर पहुँचना आवश्य था जो संबंधित न्यायालय द्वारा समुचित सुनवाई पूर्ण कर संपादित नहीं किया गया है। इस अपील प्रकरण में अपीलांट का मुख्य आक्षेप यह है कि उसे तहसीलदार द्वारा और संबंधित न्यायालय जिला कलेक्टर द्वारा समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है और न ही समुचित रूप से जांच सम्पन्न की गयी है। पूर्ण व समुचित जांच के अभाव में और समुचित सनुवाई के अभाव में उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी उज्रदायरी का निर्णय और अपीलाधीन निर्णय विधिसंगत नहीं है। उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत सैशन न्यायालय द्वारा जारीशुदा वारिस प्रमाण पत्र को भी नजरअंदाज करते हुये निर्णय पारित किया है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय विधिसंगत नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवरण व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में उभयपक्षों को लिखित व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण व समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित रूप से अपेक्षित है। सभी संबंधित लिखित व मौखिक साक्ष्य को रिकार्ड पर लेने के उपरांत विधिक स्थिति का सम्पूर्ण विवेचन व विश्लेषण के उपरांत ही विधिक निष्कर्ष पर पहुंचते हुये विधिक निर्णय संभव हो पायेगा। परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, तृतीय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.202 अपास्त किया जाता है। प्रकरण मूल ही अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह इस प्रकरण में सभी संबधित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधि अनुसार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एसचीट/10134/2003/जयपुर घनश्याम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अग्रिम कार्यवाही पूर्ण करे व संबंधित विधिक प्रावधानों के अनुसार विधिसंगत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक..... को उपस्थित होवें। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **(डा0आर0वेंकटेश्वरन)** **सदस्य** **अध्यक्ष**	